

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बली

**आदेश:-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बली व नू.अ.नि. 5937  
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चायत तहसीलदार की अपुत्रता के आधार पर राजस्थान  
 राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम बली तहसील भीम व जिला राजसमन्ड  
 की जमाबन्दी संख्या 2077 में खाता संख्या 49,50 में वर्तमान में दर्ज  
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बली	49 50	हंसमुख पुत्र कन्हैयालाल	हंसमुख लाल पुत्र कन्हैयालाल

*fhr*  
 सहायक कलक्टर  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी, भीम  
 पदेन सहायक कलक्टर  
 जिला राजसमन्ड

दिनांक :- 3/10/25

क्रमांक :- 125/348

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार *भीम* को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फाल्गुन रिपोर्ट भिजवाये।
  2. प्रार्थी श्री *हंसमुख लाल पुत्र कन्हैयालाल* को सूचनाथ।
  3. रक्षित पत्रावली।

*fhr*  
 पीठासीन अधिकारी  
 सहायक कलक्टर  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी, भीम कलक्टर,  
 जिला राजसमन्ड